न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 115/2019

1. औमप्रकाश उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री गोपीराम जाति मेघवाल साकिन भागसर हाल आबाद वार्ड नं. 03 अमर कॉलोनी नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान। —वादी

–:: बनाम ::–

1. नन्दलाल उम्र 62 वर्ष | पिसरान गोपीराम जाति मेघवाल साकिन भागसर
2. शंकरलाल उम्र 57 वर्ष | तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार (राजस्व) गोलूवाला। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता ——वादी
2. श्री सन्दीप सैन अधिवक्ता —— प्रतिवादीगण

दिनांक :– 08.08.2019

–:: निर्णय ::–

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादी हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है।

1. वादी एवं प्रतिवादीगण 1, 2 के नाम मुमकिन खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 40 एल.एल.डब्ल्यू–ए के पत्थर नम्बर 5/243 किला नम्बर 11 ता 25 की 3.795 हैक्टर नहरी खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी सलंग्न चक 40 एल.एल.डब्ल्यू–ए संख्या 2071 से 2074 सलंग्न वाद पत्र है।
2. वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 मुताबिक हिस्सा वर्षों से अलग अलग होकर काश्त कर रहे है। मुताबिक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 अलग अलग काश्त कर रहे है। वादी चक 40 एलएलडब्ल्यू–ए के प.नं. 5/243 किला नं. 21 ता 25 की 1.265 हैक. व प्रतिवादी सं.1 किला नं. 11 ता 15 की 1.265 हैक, व प्रतिवादी सं. 2 किला नं. 16 ता 2० की 1.265 हैक. नहरी खातेदारी पर काश्त कर रहे है। वादी सरकारी नौकरी पर सन 1990 से लैक्चरार पद पर कार्यरत है। इसलिये वादी अपने हिस्सा की भूमि किला नं. 21 ता 25 की 1.265 हैक. नहरी खातेदारी ठेका हिस्सा पर काश्त करवाता है। इस वर्ष यह भूमि हरबंश सिंह नाम के व्यक्ति को ठेका पर दी हुई है।
3. इस भूमि के उत्तर दिशा में गोलूवाला से कैन्ची पक्की रोड़ है। प्रतिवादी सं. 1, 2 इस पक्की रोड़ से होकर अपने किला नं. 11 ता 15 व 16 ता 20 में प्रवेश करते है। इस भूमि के किला नं. 15 में नहरी सिचांई हेतु खाला है जिससे वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 अपने हिस्सा की भूमि पर सिचांई का पानी लगाते है। इसी प्रकार शान्तिपूर्वक काबिज होकर अर्सा दराज से अलग अलग काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व अभिलेख में खाता अभी सांझा है इस कारण पक्षकारान के मध्य

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

आये दिन सींव, बट व रकम राज को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिये वादी अपने हिस्सा कब्जा काश्त की कृषि भूमि का खाता विभाजन अन्य प्रतिवादीगण से तकसीम करवा रकम राज अलग कायम करवाने के अधिकारी है।

4. वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि का खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे परन्तु आज से 5 रोज पूर्व वे ऐसा करने से मना हो गये बस यही वाद हेतुक है।

5. प्रतिवादी संख्या 3 भू-धारक है इसलिये उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादी की भूमि किसी बैंक के रहन नहीं है इसलिये बैंक इसमें आवश्यक पक्षकार नहीं है।

6. अर्जीदावा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एंव अन्दर मियाद है।

लिहाजा इन्तदुआ है कि वाद वादी बाद जांच जाब्ता दीवानी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) वादी की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 40 एल.एल.डब्ल्यू.-ए के पत्थर नम्बर 5/243 किला नम्बर 21 ता 25 की 1.265 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि का खाता अन्य प्रतिवादीगण से तकसीम किया जाकर रकम राज अलग कायम किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष अदालत हाजा उचित समझे दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 28.06.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री सन्दीप सैन अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होनें देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :-

1. वादी एवं प्रतिवादीगण 1, 2 के नाम मुमकिन खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 40 एल.एल.डब्ल्यू-ए के पत्थर नम्बर 5/243 किला नम्बर 11 ता 25 की 3.795 हैक्टर नहरी खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है।

2. राजीनामा की दफा 1 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 मुताबिक हिस्सा वर्षों से अलग अलग होकर काश्त कर रहे है। मुताबिक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 अलग अलग काश्त कर रहे है। उक्त भूमि के किला नम्बर 15-16 मे 4-4 फुट यानी 0.006-0.006 हैक्टर खाला घरु तौर पर चल रहा है जिससे प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनों सिंचाई की सुविधा लेते हैं। प्रथम पक्ष को अपनी भूमि में इसी खाला से पानी लगता है व किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक में पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.015-0.015 हैक्टर रास्ता चालू है। इसी भूमि का बंटवारा पक्षकारान ने खाला रास्ता की सुविधा के हिसाब से निम्न प्रकार से बंटवारा कर काबिज काश्त है

Scanned by CamScanner

(क). वादी प्रथम पक्ष चक 40 एल.एल.डब्ल्यू.–ए के पत्थर नम्बर 05/243 किला नम्बर 21/.238 हैक्टर नहरी व 0.015 हैक्टर रास्ता, 22 ता 25/1.012 हैक्टर कुल 1.250 हैक्टर नहरी व 0.015 हैक्टर रास्ता कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय रास्ता।

(ख). प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 1 40 एल.एल.डब्ल्यू.–ए के पत्थर नम्बर 05/243 किला नम्बर 11 ता 15 की कुल 1.265 हैक्टर नहरी खातेदारी

(ग). प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 02 चक 40 एल.एल.डब्ल्यू.–ए के पत्थर नम्बर 05/243 किला नम्बर 16 ता 19/1.012, 20/0.238 हैक्टर नहरी व 0.015 हैक्टर रास्ता, कुल 1.250 हैक्टर नहरी व 0.015 हैक्टर रास्ता कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय रास्ता खातेदारी भूमि प्राप्त हुई है।

3. प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय संख्या 1, 2 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है, यदि वादी प्रथम पक्ष का दावा डिक्री किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा।

वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष नें उक्त राजीनाम बदरूस्ती होश हवास बिना किसी नशा पता के बिना किसी दबाव व बहकाव के लिखवा दिया हैं।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया और अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी भूमि है। पुश्तैनी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित वादी ओमप्रकाश की चक 40 एल.एल.डब्ल्यू–ए के मुरब्बा नम्बर 05/243 किला नम्बर 21/238 हैक्टर व 0.015 हैक्टर रास्ता, 22 ता 25/1.012 हैक्टर कुल 1.250 हैक्टर व 0.015 हैक्टर रास्ता कुल 1.265 हैक्टर मय रास्ता भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 नन्दलाल की चक 40 एल.एल.डब्ल्यू–ए के मुरब्बा नम्बर 5/243 के किला नम्बर 11 ता 15 की कुल 1.265 हैक्टर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल की चक 40 एल.एल.डब्ल्यू–ए के मुरब्बा नम्बर 5/243 के किला नम्बर 16 ता 19/1.012, 20/.238 हैक्टर नहरी व 0.015 हैक्टर रास्ता कुल 1.250 हैक्टर नहरी व 0.015 हैक्टर रास्ता कुल 1.265 हैक्टर खातेदारी भूमि का खाता तकसीम किया जाकर रकमराज अलग–अलग कायम की जाती है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/कब्जा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आदि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner